परिशिष्ट [ 7/3/2018]

# कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला सतना (म0प्र0)

सतना, दिनांक 22.03.16

## //आदेश//

क्रमांक/87/राजस्व/2016 सतना जिले में खासतौर से सतना नगरीय क्षेत्र एवं पेराफेरी में पूर्व से ही दर्ज शासकीय भूमियों को पिछले कुछ वर्षों के दौरान कतिपय निहित स्वार्थी भू-माफियाओं ने फर्जी पट्टों के माध्यम से कानून एवं नियमों तथा प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए या अतिक्रमण कर नामी बेनामी पट्टों के माध्यम से षड़यंत्र पूर्वक कतिपय निहित स्वार्थी तत्वों के नाम भू-अभिलेखों में फर्जी इन्द्राज किया जाने की शिकायतें प्राप्त हुई है। उक्त अवैध कार्य भू-अभिलेख/राजस्व अधिकारी एवं कर्मचारीगणों की मिलीभगत से किया गया है। उक्त अवैध कार्य सुनियोजित तरीके से दर्जनों ग्रामों की भूमि नक्शों आदि का गुमना बताया जा रहा है तथा अनेक स्थानों पर फर्जी नक्शों एवं भू अधिकार अभिलेखों को प्रचलित करा दिया गया है। उक्त अवैध कृत्य एवं कार्यवाहियों के कारण जहां कीमती शासकीय भूमि हड़पने का षड़यंत्र हुआ है, वही दूसरी ओर जनसामान्य को भी अनेक कुचक्रों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण राजस्व आदि से संबंधित गंभीर अपराध और समस्यायें पैदा हो रही है। साथ ही कानून व्यवस्था की भी समस्यायें पैदा हो रही है और जमीनों से संबंधित अनेक हिंसक वाद विवाद भी हो रहे हैं।

अतः उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में वर्णित प्रकरणों की पतासाजी पूर्व बंदोबस्त एवं वर्ष 1959 की भू-स्वामी या शासकीय स्थिति के आधार पर कार्यवाही करते हुए उनकी जांच करने और शासकीय भूमियां, जो खुर्द-बुर्द हुई, उन्हें उक्त षड़यंत्रों से मुक्त कर पुनः शासकीय दर्ज करने हेतु तथा अन्य अनुसांगिक कार्यवाही करने एवं दोषियों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करने एवं आपराधिक मामला चलाने के संबंध में सतना जिले के समस्त अनुविभागों के संबंधित अनुविभागीय अधिकारियों की अध्यक्षता में एक विशेष जांच समिति गठित की जाती है, जिसके सदस्य प्रत्येक तहसील के तहसीलदार/प्रभारी तहसीलदार होंगे तथा प्रभारी अधिकारी भू-अभिलेख इसके समन्वयक होंगे। उक्त जांच समिति अपना प्रतिवेदन तीन माह के अंदर आवश्यक रूप से मुझे प्रस्तुत करेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(संतोष मिश्र)
कलेक्टर
जिला सतना

क्रमांक/राजस्व/2016/87
प्रतिलिपि :-

सतना, दिनांक 22.03.2016

1. कमिश्नर, रीवा संभाग, रीवा।
2. अपर कलेक्टर सतना
3. समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जिला सतना।
4. समस्त तहसीलदार/प्रभारी तहसीलदार, जिला सतना।

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
गृह (पुलिस) विभाग, बी (1),
मंत्रालय, भोपाल.